

का.आ. 1837(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 मई, 2005 की अधिसूचना सं० सां० आ० 708 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम्मीद खन्ना फाउन्डेशन, 2, शेंटी फार्म, गांव साहूरपुर, चंदनहोला, नई दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य देखरेख की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नाम और पते में उम्मीद खन्ना फाउन्डेशन, 2 शेंटी फार्म, गांव साहूरपुर, चंदनहोला, नई दिल्ली 30 से बदलकर “उम्मीद, 208-216 डी डी ए कमर्शियल काम्पलेक्स, अरविन्दो, प्लेस मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली-110016” संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) एतद्वारा उम्मीद खन्ना फाउन्डेशन, 2, शांति फर्म, गांव साहूरपुर, चंदनहोला, नई दिल्ली, द्वारा स्वास्थ्य देखरेख की परियोजना या स्कीम को पात्र परियोजना या

स्कीम के रूप में अनुमोदित लागत 4.50 करोड़ रुपये में बगैर कोई परिवर्तन किए विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 25 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं० सां० आ० 708 (अ०) में और आगे निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 5 के सामने सारिणी में, उक्त सारिणी के कालम (2) में उससे संबंधित प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः

“ उम्मीद, 208-216, डी० डी० ए० वाणिज्यिक परिसर, अरविन्दो प्लेस मार्किट, हौज खास, नई दिल्ली-110016”

[सं. 304/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)